कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376-232077,
ई:मेल :
dfotehri_ua@rediffmail.com

(50)

पत्रांक : 317 / 12-1(7)   नई टिहरी, दिनांक- 2/8/ 2016।

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,
टिहरी गढ़वाल।

विषयः- जनपद टिहरी गढवाल में घनसाली पुलिस चौकी के निर्माण हेतु 0.2 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु गृह विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं0-416/X-4-16/01(118)2016, दिनांकः-20-07-2016 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड का पत्रांकः-305/FP/UK/OTHERS/13110/2015, दिनांकः-23-07-2016 ।

महोदय,

अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड, देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा जनपद टिहरी गढवाल में घनसाली पुलिस चौकी के निर्माण हेतु 0.2 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु गृह विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निगत की गई है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का निम्न प्रकार अनुपालन किया जायेगाः-

1- शासन की शर्त सं0-01 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु मु0-817300.00 (आठ लाख सत्रह हजार तीन सौ मात्र) वन विभाग के पक्ष में जमा किया जायेगा।

2- शासन की शर्त सं0-02 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995, दिनांकः-05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि मु0-131400.00 (एक लाख इकतिस हजार चार सौ मात्र) जमा किया जायेगा।

3- शासन की शर्त सं0-03 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का बचनबद्धता प्रस्तुत की जायेगी कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

4- शासन की शर्त सं0-04 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय की रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0-5-3-2007-एफ0सी0, दिनांकः-05-02-2009 के तहत दिये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियों की धनराशि का आंकलन प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर ऑन लाईन अपलोड करेगा जिसे नोडल अधिकारी द्वारा आन लाईन सत्यापित करने के पश्चात प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन प्रक्रिया से प्राप्त चालान के अनुसार जमा करेगा तथा बैंक द्वारा जारी पुष्टि का पत्र मय संलग्नक प्रभागीय वनाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। तत्पश्चात म्यूटेशन का विवरण अपलोड किया जायेगा जिसकी पुष्टि नोडल अधिकारी द्वारा ऑन लाईन किया जायेगा। तत्पश्चात प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्नकों सहित ऑन लाईन अपलोड करेगा जिसे प्रभागीय वनाधिकारी व नोडल अधिकारी के माध्यम से विधिवत स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को ऑन लाईन हार्ड कापी प्रेषित किया जायेगा।

HC
SSP
2/8

क्रमशः--2--

HC
3/8

5— शासन की शर्त सं0—05 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यदल की संस्तुतियों एवं भू—वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

6— शासन की शर्त सं0—06 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।

7— शासन की शर्त सं0—07 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में सभी निहित निर्धारित शर्तों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।

शासन द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित सभी शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑन लाईन अपलोड करते हुए हार्ड कापी चार प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0पी0 मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

संख्या : / दिनांकित।

प्रतिलिपिः— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(आर0पी0 मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी